आरियण्टल गैस कम्पनी

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. निर्वचन खण्ड ।

2. 1857 के अधिनियम संख्यांक 5 का विस्तार करने की शक्ति ।

आरियण्टल गैस कम्पनी

(1867 का अधिनियम संख्यांक 11)

[1 मार्च, 1867]

[1][भारत के प्रान्तों] में कुछ स्थानों में ओरियण्टल गैस कम्पनी लिमिटेड के कार्यों का विस्तार करने के लिए सशक्त करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—1857 के अधिनियम संख्यांक 5 के अधीन या उसके आधार पर (ओरियण्टल गैस कंपनी लिमिटेड को कुछ शक्तियां प्रदत्त करने के लिए अधिनियम) ओरियण्टल गैस कम्पनी लिमिटेड को केवल कलकत्ता और उसके उपान्त में प्रयोग के लिए कुछ शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, और उक्त कम्पनी को [1][भारत के प्रान्तों] में कुछ स्थानों में उनके कार्यों का विस्तार करने के लिए [2][केन्द्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से सशक्त करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में इसके द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [निर्वचन खण्ड ।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

2. 1857 के अधिनियम संख्यांक 5 का विस्तार करने की शक्ति—[2][केन्द्रीय सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त 1857 के अधिनियम संख्यांक 5 का विस्तार कलकत्ता और उसके उपान्त से भिन्न, [3][[4][1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग क राज्यों तथा भाग ग राज्यों] में [4][समाविष्ट राज्यक्षेत्रों]] के किसी स्थान पर कर सकेगी । परन्तु प्रत्येक उस स्थान में जहां उक्त अधिनियम का इस प्रकार विस्तार किया जाता है उसी अधिनियम की धारा 3 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो "कलकत्ता नगर" शब्दों के स्थान पर उस स्थान का नाम जिस पर उक्त अधिनियम का इस प्रकार विस्तार किया गया है प्रतिस्थापित किया गया हो : उसी अधिनियम की धारा 7 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो "1856 के अधिनियम संख्यांक 14" अंकों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए गए (अर्थात्) "जैसे स्थान की सफाई और सुधार के लिए उपबन्ध करने के लिए तत्समय प्रवृत्त कोई विधि"; उक्त अधिनियम की धारा 22 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो "ज्वाइंट स्टाक कंपनीज ऐक्ट, 1856" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए गए हों; (अर्थात्) "दि इण्डियन कंपनीज ऐक्ट, 1866 अथवा तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून या अधिनियम जो संयुक्त स्टाक कम्पनीज से संबंधित हो" और मानो "फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट आफ जुडिकेचर" के स्थान पर "जो ऐसे स्थान में अपील के लिए उच्चतम सिविल न्यायालय हैं" पद प्रतिस्थापित किया गया हो; और मानो "ईस्ट इण्डिया कंपनी के राज्यक्षेत्रों" पद के स्थान पर [5]*** "राज्यों" पद प्रतिस्थापित किया गया हो ।

———

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों में" के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसका प्रतिस्थापन विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "ऐसी सरकार के अधीन राज्यक्षेत्रों में" के स्थान पर किया गया था ।

[4] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "इस अधिनियम में यथापरिभाषित" शब्द निरसित किए गए ।